

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(17)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 19-07-2021

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं01, नोहर जिला हनुमानगढ में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु (श्री राजेश कुमार बंसल, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, नोहर जिला हनुमानगढ का दिनांक 11.05.21 को स्वर्गवास होने के कारण रिक्त हुए पद पर) श्री महेन्द्र कुमार जैन, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/879/95) को अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, नोहर जिला हनुमानगढ के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 17,640/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


हं

(हिमांकनी गौड)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ।
8. संबंधित न्यायालय।
9. जिला कलक्टर, हनुमानगढ।
10. कोषाधिकारी, हनुमानगढ।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

  
19/7/21

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण